राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या– 2233/2016..... जिला .....श्रीगंगानगर.....

उनवान : उम्मेदसिंह पुत्र श्री मोहन लाल निवासी 8 एस.टी.वी. सुखचेनपुरा तह. श्रीविजयनगर, श्रीगंगानगर.

बनाम

1. आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर 2. जिला आबकारी अधिकारी, श्रीगंगानगर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02/01/2017	**खण्डपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** **श्री के. एल. जैन, सदस्य** निगरानीकर्ता की ओर से जरिये अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव यह निगरानी राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 9ए के तहत प्रस्तुत की गयी है, जिसमें आबकारी आयुक्त द्वारा पारित निगरानी अधीन आदेश दिनांक 28.09.2016 का पुनरीक्षण (Revision) करने की प्रार्थना की गयी है। पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र के साथ ही विवादित आदेश दिनांक 28.09.2016 को स्थगित किये जाने की प्रार्थना की गयी थी, अतः स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुनवाई की गयी। निगरानीकर्ता की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि निगरानीकर्ता को वर्ष 2016–17 के लिये लॉटरी में देशी मदिरा दुकान 27 पी.एस. लिखमेवाला, समूह संख्या 176 प्राप्त हुई थी जिसका आबकारी अधिकारी श्रीगंगानगर के द्वारा अनुज्ञापत्र जारी किया गया था एवं निगरानीकर्ता द्वारा उसका संचालन किया जा रहा था। कथन किया कि दिनांक 19.07.2016 को सहायक आबकारी अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया था एवं निरीक्षण में ग्लोबस स्पिरिट ब्रांड के 12 पव्वे लूज ढक्कन के मिलने के आधार पर माल की प्रमाणिकता की जांच हेतु लिये गये थे उन्हें आबकारी प्रयोगशाला बीकानेर एवं ग्लोबस स्पिरिट की प्रयोगशाला से जांच करवाई जाने में आबकारी प्रयोगशाला बीकानेर ने नमूनों की तेजी 50.11 UP व 50.70 UP पाई जाने पर नोटिस जारी किया एवं पव्वों के साथ छेड़छाड़ एवं मिलावट के आरोप लगाये गये तथा निगरानीकर्ता को जारी अनुज्ञापत्र की शर्तों की शर्त संख्या 6.6 व 7.1 का उल्लंघन कारित होना माना गया। नोटिस के जवाब में निगरानीकर्ता की ओर से विस्तृत जवाब पेश कर सम्पूर्ण प्रकरण विभागीय अधिकारियों द्वारा अनियमित रूप से बनाना बताया गया एवं प्रार्थी के पव्वे नीले ढक्कन के होने से उनमें 50 UP के माल के स्थान पर 50.11 UP एवं 50.70 UP आना मामूली अन्तर बताया गया था एवं समस्त कार्यवाही विधि द्वारा प्रदत्त प्रक्रिया से अन्यथा होने से निरस्तनीय बताया गया था परन्तु जिला आबकारी अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपने आदेश दिनांक 14.09.2016 के जरिये प्रार्थी का लाईसेंस रद्द कर दिया। लगातार.....2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या– 2233/2016..... जिला .....श्रीगंगानगर.....

उनवान : उम्मेदसिंह पुत्र श्री मोहन लाल निवासी 8 एस.टी.वी. सुखचेनपुरा तह. श्रीविजयनगर, श्रीगंगानगर.

बनाम

1. आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर 2. जिला आबकारी अधिकारी, श्रीगंगानगर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02/01/2017	प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि लाइसेंस अविधिक एवं अनुचित रूप से रद्द करने के आदेश के विरूद्ध अधिनियम की धारा 9ए(1)(ए) के तहत आबकारी आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे सुनवाई के पश्चात् दिनांक 28.09.2016 के आदेश से खारिज कर दिया गया एवं आबकारी अधिकारी श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 19.09.2016 को विधिसम्मत एवं न्यायोचित घोषित किया गया जो कि पुनः विधि विरूद्ध एवं न्याय विरूद्ध होने से अपास्तनीय बताते हुए जिला आबकारी अधिकारी श्रीगंगानगर एवं आबकारी आयुक्त उदयपुर के आदेश को निगरानी प्रार्थना–पत्र के निर्णय तक स्थगित किये जाने का अनुरोध किया जिससे उन्हें अपूरणीय क्षति न हो। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने यह भी तथ्य प्रकट किये कि दिनांक 14.09.2016 के लाईसेंस निरस्तीकरण आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में सिविल रिट पिटिशन संख्या 10033/2016 भी प्रस्तुत की गयी थी जिनके आदेश के पश्चात् आबकारी आयुक्त द्वारा दिनांक 28.09.2016 को अपील निर्णीत की गई जिसमें अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या 6.6 एवं 7.1 का असत्य वर्णन भी किया गया। बहस के दौरान यह भी तथ्य प्रकट किया कि उक्त दुकान का लाईसेंस रद्द करने के पश्चात् दिनांक 15.09.2016 को दुकान आवंटन करने हेतु नई विज्ञप्ति जारी कर दी गई एवं निविदा ले ली गई थी जिसे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.09.2016 में विशिष्ठ तौर पर दिनांक 07.10.2016 तक आबकारी आयुक्त को अपील निर्णीत करने एवं अपील निर्णय तक दुकान की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया गया था। दिनांक 28.09.2016 के अपीलीय आदेश के पश्चात् उक्त दुकान अन्य व्यक्ति को दे दिया जाना बताया। उक्त तथ्यों के अधीन एवं सम्पूर्ण कार्यवाही के दूषित प्रक्रिया के तहत होने से अपास्त कर फिलहाल अनुज्ञापत्र बहाल करने का अनुरोध किया एवं आदेश के तहत समस्त जमा राशियों को राजसात से मुक्त करने का भी निवेदन किया गया एवं दिनांक 15.09.2016 को प्रकाशित विज्ञप्ति के पश्चात् की गई समस्त अवैधानिक प्रक्रिया पर स्थगन आदेश देने का अनुरोध किया है। लगातार.....3	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या– 2233/2016..... जिला .....श्रीगंगानगर.....

उनवान : उम्मेदसिंह पुत्र श्री मोहन लाल निवासी 8 एस.टी.वी. सुखचेनपुरा तह. श्रीविजयनगर, श्रीगंगानगर.

बनाम

1. आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर 2. जिला आबकारी अधिकारी, श्रीगंगानगर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 3 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02/01/2017	अप्रार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री आर. के. अजमेरा ने दोनों ही अवर अधिकारियों के आदेशों को पूर्णतया विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि आकस्मिक निरीक्षण के दौरान जो बयान दर्ज किये गये थे उससे ही स्पष्ट है कि प्रार्थी अनुज्ञाधारी द्वारा पव्वों के साथ छेड़छाड़ कर उसमें ढक्कन पर स्लीप को बदला गया एवं जांच के दौरान ही अधिकृत व्यक्ति ने यह स्वीकार किया था कि ढक्कन लूज कर इसको पानी से डायलूट किया है। प्रत्यर्थी ने कथन किया कि आबकारी आयुक्त के आदेश में जो शर्त संख्या 6.6 एवं 7.1 का वर्णन किया है वह वे शर्तें हैं जो अनुज्ञापत्र में वर्णित होती है एवं वर्णित शर्तों का उल्लंघन प्रमाणित था कि सेम्पल की जांच राजकीय प्रयोगशाला बीकानेर में अधिक तेजी प्रमाणित की है। उन्होंने कथन किया कि 40UP के माल के ढक्कन लाल होने के निर्देश हैं एवं जांच में लाल ढक्कन का माल 40UP की जगह 50UP का पाया गया जो मिलावट का स्पष्ट मामला प्रमाणित होने से अनुज्ञापत्र विधिक रूप से निरस्त किया गया है। अतः स्थगन प्रार्थना–पत्र को अस्वीकार करने का बल दिया एवं यह भी बताया कि उक्त दुकान अन्य निविदाकर्ता को दी जा चुकी है। उक्तानुसार स्थगन प्रार्थना–पत्र पर उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। उक्त प्रकरण में प्रार्थी लाईसेंसधारक का लाईसेंस शराब में मिलावट होने एवं माल का दैनिक रजिस्टर विधि अनुसार नहीं होने के आधार पर निरस्त कर दिया गया है एवं मौखिक कथन अनुसार अब वह दुकान किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित कर देना भी बताया गया है। उक्त प्रकरण के समस्त तथ्यों पर गौर करने पर प्रथम दृष्टया यह प्रकाश में आया है कि जिला आबकारी अधिकारी एवं आबकारी आयुक्त द्वारा प्रार्थी के पास उपलब्ध शराब में मिलावट प्रगाणित होना माना गया है एवं इसी आधार पर मूल आदेश एवं अपीलीय आदेश में प्रार्थी के विरूद्ध निर्णय दिया गया है। प्रार्थी की ओर से पूरे प्रकरण में जांच में गम्भीर अनियमितता होने के आधार पर सम्पूर्ण प्रकरण विधिक रूप से दूषित होने से निर्णय अपास्त योग्य बताया है। लगातार.....4	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या– 2233/2016..... जिला .....श्रीगंगानगर.....

उनवान : उम्मेदसिंह पुत्र श्री मोहन लाल निवासी 8 एस.टी.वी. सुखचेनपुरा तह. श्रीविजयनगर, श्रीगंगानगर.

बनाम

1. आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर 2. जिला आबकारी अधिकारी, श्रीगंगानगर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 4 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02/01/2017	इस पीठ के समक्ष प्रस्तुत निगरानी में केवल स्थगन दिये जाने पर सुनवाई की गई है एवं स्थगन आवेदन पर विचार किया गया है। सर्वप्रथम प्रस्तुत निगरानी जो विद्वान अभिभाषक ने अधिनियम की धारा 9क(1)(ख) के अन्तर्गत बताई है वह त्रुटिपूर्ण है परन्तु इसे त्रुटि मात्र मानते हुए न्यायहित में इसे धारा 9ए(4) के तहत प्रस्तुत होना माना जाता है क्योंकि पुनरीक्षण धारा 9ए(4) में विहित है तथ यह आबकारी आयुक्त द्वारा निर्णीत अपील के विरूद्ध निगरानी है जो अधिनियम की धारा 9ए(4) के तहत ही प्रस्तुत योग्य है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्र में उनके निरस्त किये गये लाईसेंस को बहाल करने का अनुरोध किया गया है जो पुनः विधिक एवं तथ्यात्मक स्थिति के अनुरूप नहीं है क्योंकि लाईसेंस की वर्तमान स्थिति निरस्त प्रभाव में है एवं उसी दुकान का लाईसेंस किसी अन्य व्यक्ति को जारी होना बहस के दौरान बताया गया है तब अन्य व्यक्ति को जारी लाईसेंस निरस्त होने का अविधिक प्रभाव भी इसमें सम्मिलित है। यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष भी लाईसेंस की यथास्थिति रखने एवं उस समय नये लाईसेंस को जारी करने से स्थगन चाहा था परन्तु माननीय उच्च न्यायालय ने यह Status quo केवल आबकारी आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत अपील के आदेश तक ही रखने के आदेश दिये गये थे जो प्रभावी रूप से यह निर्णय था कि आबकारी आयुक्त का आदेश यदि प्रार्थी के पक्ष में होता तो स्वतः लाईसेंस जारी रहता एवं यदि विपक्ष में है तो बाद में लाईसेंस देने हेतु जो विज्ञप्ति हो चुकी थी एवं आवंटन हो गया था उसे लाईसेंस दिया जाने की स्वतंत्रता थी। इस तरह माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी आबकारी आयुक्त के आदेश को प्रभावशील होने पर कोई शर्त नहीं रखी थी बल्कि स्वतंत्रता प्रदान की थी। उक्त तथ्यात्मक स्थिति के विवेचन अनुसार प्रकरण में स्थगन देने का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाता है परन्तु न्यायहित में निगरानी प्रार्थना–पत्र का निस्तारण शीघ्रता से किये जाने हेतु पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 11/01/2017 को खण्डपीठ के समक्ष पेश हो। पक्षकारों को सूचित किया जावे। सदस्य राजस्थान कर बोर्ड 2.1.2017 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड	